न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–09 / 2017

1. श्री बाबुलाल पिता नाथुलाल जाति मीणा निवासी रूपपूरा खालसा तहसील छोटीसादड़ी हाल मुकाम खण्डवेलिया तहसील व जिला नीमच म0प्र0
2. श्री हकमीचन्द पिता हिरालाल जाति मीणा निवासी रूपपूरा खालसा तहसील छोटसादड़ी हाल मुकाम खडवेलिया तहसील व जिला नीमच म0प्र0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लालु पिता रकवा जाति मीणा निवासी सज्जनपुरा उर्फ हाण्डिया तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
2. श्री नारीवाई पिता रकवा जाति मीणा निवासी सज्जनपुरा उर्फ हाण्डिया तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
3. श्री नारू पिता हेमराज जी जाति मीणा निवासी सज्जनपुरा उर्फ हाण्डिया तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
4. श्री कंचनवाई पिता हेमराज जी जाति मीणा निवासी सज्जनपुरा उर्फ हाण्डिया तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राज0
5. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री हजारीलाल कराडिया– अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री जगदीशराव मराठा– अभिभाषक अप्रार्थीगण कमांक 1 एवं 2
श्री बाबुलाल पालीवाल– अभिभाषक अप्रार्थीगण कमांक 3 एवं 4

निर्णय

दिनांक 13.09.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधीनियम 1956 का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रूपपुरा खालसा पटवार हल्का अम्बावली के पुराने आराजी संख्या 14 रकबा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 19 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 37 / 1 रकवा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 66 / 2 रकबा 1 बीस्वा कुल रकवा 3 विघा 4 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 21 / 183 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी संख्या 49 रकवा 0.39 हैक्ट0, आराजी संख्या 59 रकबा 0.15 हैक्ट0,

आराजी संख्या 60 रकबा 0.10 हैक्ट0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.02 हैक्ट0, कुल किता 05 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 स्थिति है। उक्त आराजी पूर्व में रकबा,नाथु पिता पूंजा मीणा के नाम से दर्ज रेकार्ड थी रकबा जी का स्वर्गवास काफी वर्ष पूर्व हो चुका था रकबा जी की पत्नी का भी स्वर्गवास पूर्व में हो चुका था रकबा जी की लाऔलाद फोत हो चुकी थी उनके कोई भी जायन्दा पुत्र या पुत्री नहीं है। इसी तरह नाथुलाल जी की भी फोत हो चुकी है। नाथुलाल जी के पुत्र हिरालाल एवं बाबुलाल जो वर्तमान में खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। बाबुलाल प्रार्थी कमांक 01 है। हिरालाल जी का स्वर्गवास हो गया है। जिनका एक पुत्र है हुक्मीचन्द जोकि प्रार्थी कमांक 02 है। आवेदकगण मीणा जाति में आते है एवं गोत्र बरकट से संबंधित है।

2. यह कि ग्राम रूपपुरा खालसा तहसील छोटीसादड़ी में एक ओर रकबा पिता पूंजा मीणा जिसकी गौत्र चनाणा थी जिसका काफी समय पहले स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 है। सन 2001 में प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 22/10/2001 में प्रार्थीगण की पूर्वजीय कृषि भूमि मौजा रूपपुरा खालसा में चनाणा गौत्र के रकबा पिता पूंजा मीणा के वारिसान का नाम बरकट गौत्र के रकबा पिता पूंजा मीणा की जमीन में दर्ज कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि मौजा गांव रूपपुरा खालसा पटवार हल्का अम्बावली के पुराने आराजी संख्या 14 रकबा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 19 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 37/1 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 66/2 रकबा 1 बीस्वा कुल रकबा 3 बिघा 4 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 21/183 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी संख्या 49 रकबा 0.39 हैक्ट0, आराजी संख्या 59 रकबा 0.15 हैक्ट0, आराजी संख्या 60 रकबा 0.10 हैक्ट0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.02 हैक्ट0, कुल किता 05 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 पर अप्रार्थीगण 01 से लगायात 04 के नाम विलोपित कर प्रार्थी बाबुलाल पिता नाथुलाल मीणा के नाम नामान्तकरण किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर अपार्थीगण को जरिये समन्न सुचित किया किया गया बावजूद सुचना अपार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा नामान्तकरण की जॉच पटवार हल्का अम्बावली से

उपखण्ड अधिकारी

Welcome VINOD

करवाई गई जिसमें पटवारी रिपोर्ट में बताया कि उक्त आराजी के जमावन्दी सवत् 2051–54 के खाता संख्या 35 पर प्रार्थी श्री बाबुलाल पिता नाथु पिता नंगा एवं उनके भाई रकबा पिता नंगा के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि रकवा पिता नंगा मीणा प्रार्थी के पिता का भाई था लेकिन नामान्तकरण संख्या 46 से उक्त आराजी में जिन खातेदारों का नाम दर्ज किया गया है वह प्रार्थी के परिवार से संबधित न होकर अलग है प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता के पिता के भाई की गोत्र बरकट है जबकि विरासत से जिनका नाम खातेदारी में दर्ज हुआ है उनकी गौत्र चनाणा है इससे जाहीर होता है कि खातेदारी में दर्ज खातेदार वास्तविक मृतक खातेदार रकबा पिता नंगा के वारीसान नहीं है। उक्त खातेदारी के वास्तविक खातेदार रकबा पिता नंगा व प्रार्थी का परिवार पिछेले लगभग 50 वर्षो से ग्राम रूपपुरा से पलायन कर अन्यत्र निवास कर रहें है इसलिए मृतक रकवा पिता नंगा के वारिसान की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी एवं उक्त आराजी मौके पर घास बीड़ होकर मौके पर खाली पड़ी हुई है तथा जिनका नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उनका मौके पर कब्ज नहीं होना जाहीर आया है। उक्त खातेदारी में दर्ज खातेदार श्री लालु नारीबाई पिता रकवा कंचन बाई, नारू पिता हेमराज मीणा तथा सह खातेदार हीरालाल, बाबूलाल पिता नाथू मीणा के भाई परिवार से नहीं होना, अलग–अलग गोत्र से होना तथा मौके पर इनका कब्जा नहीं होने से जाहिर होता है कि नामान्तकरण संख्या 46 से विरासत से रकवा पिता नंगा इस आराजीयात का वास्तविक खातेदार था तथा खातेदारी में दर्ज नाम उनके वारिवान नहीं है और ग्राम में एक ही नाम तथा जाति के दो अलग–अलग खातेदार होने से इस खातेदारी में सहवन से इनके नाम दर्ज हो गया।

4. पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया सलग्न जमावन्दी सवत 2051–54 में उक्त आराजी नाथु, रकवा पिता नंगा मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा पटवार हल्का रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि दो अलग–अलग खातेदार जिनका नाम एवं जाति भी एक होने से चनाणा गौत्र वाले रकवा के वारीसान का नाम वरकट गौत्र वाले रकवा की आराजीयात मे दर्ज कर लिया है जोकि एक विधिक भूल हुई है। जिसको शुद्धी किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि मौजा रूपपुरा खालसा पटवार हल्का अम्बावली की आराजी संख्या 21/183 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी संख्या 49 रकबा 0.39 हैक्ट0, आराजी संख्या 59 रकबा 0.15 हैक्ट0, आराजी संख्या 60 रकबा 0.10 हैक्ट0, आराजी संख्या 136 रकवा 0.02 हैक्ट0, कुल किता 05 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 पर अप्रार्थीगण 01 से लगयात 04 के नाम विलोपित कर रकबा पिता नंगा जाति मीणा के विधिक वारिसान की जॉच कर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़